अधिसूचना सं०–प्रेस – 20/2013...135.../

झारखण्ड सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

राँची, दिनांक...28/02/2019

अधिसूचना

झारखण्ड प्रेस प्रतिनिधि अधिमान्यता (संशोधन) नियमावली, 2019

झारखण्ड सरकार द्वारा झारखण्ड प्रेस प्रतिनिधि अधिमान्यता नियम 2014 के विभिन्न नियमों में निम्नांकित संशोधन किया जाता है:–

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ:–

1.1 झारखण्ड प्रेस प्रतिनिधि अधिमान्यता नियम 2014 का यह संशोधित नियम ''झारखण्ड प्रेस प्रतिनिधि अधिमान्यता (संशोधन) नियम, 2019'' के नाम से जाना जायेगा।

1.2 यह नियमावली अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त माना जाएगा।

2. संशोधित नियम –

क्र० सं०	प्रेस प्रतिनिधि अधिमान्यता नियम 2014 के नियम	संशोधित प्रावधान
1	3.1 समाचार पत्रों /समाचार एजेंसी/ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया /न्यूज वेब पोर्टल/ न्यूज वेबसाइट के प्रतिनिधियों राज्य एवं केंद्र सरकार के सूचना सेवा के पदाधिकारियों को अधिमान्यता प्राप्त करने के लिए राज्य मुख्यालय के लिए परिशिष्ट–1 में दिए गए आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करना होगा तथा जिला स्तर के लिए परिशिष्ट–2 में दिए गए आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करना होगा।	3.1 पत्रिकाओं/समाचार पत्रों /समाचार एजेंसी/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया /न्यूज वेब पोर्टल/ न्यूज वेबसाइट के प्रतिनिधियों राज्य एवं केंद्र सरकार के सूचना सेवा के पदाधिकारियों को अधिमान्यता प्राप्त करने के लिए सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय में ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना होगा।
2	3.3 अनुभव का प्रमाण आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।	3.3 अनुभव का प्रमाण आवेदन के साथ संलग्न कर अपलोड करना होगा।
3	3.4 आवेदन पत्र के साथ रंगीन छायाचित्र तीन प्रतियों में संलग्न करना होगा जिनमें से आवेदन पत्र पर दिए गए छायाचित्र संपादक/ब्यूरो चीफ द्वारा अभिप्रमाणित रहना आवश्यक है।	3.4 आवेदन पत्र के साथ स्वअभिप्रमाणित रंगीन छायाचित्र अपलोड करना आवश्यक है।
4	3.5 प्रेस प्रतिनिधि की न्यूनतम आयु सीमा 22 वर्ष एवं सक्रिय पत्रकार होना चाहिए।	3.5 प्रेस प्रतिनिधि की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवं सक्रिय पत्रकार होना चाहिए।
5	3.6 प्रेस प्रतिनिधि स्नातक या स्नातक समतुल्य	3.6 प्रेस प्रतिनिधि स्नातक या स्नातक समतुल्य अर्हत्ता रखता

	अर्हता रखता हो। गैर स्नातक मामले में विभागीय सरकार को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह इस में छूट प्रदान कर सकता है।	हो । गैर स्नातक मामले में प्रेस प्रमाणीकरण समिति को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह इस में छूट प्रदान कर सकता है।
6	3.7 . स्वतंत्र पत्रकारों को अधिमान्यता प्राप्त करने के लिए परिशिष्ट 3 में दिए गए आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करना होगा।	3.7 स्वतंत्र पत्रकारों को अधिमान्यता प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से आवेदन करना होगा।
7	3.8 स्वतंत्र पत्रकारों को अधिमान्यता के लिए न्यूनतम 15 वर्षों का पूर्णकालिक संवाददाता का अनुभव होना अनिवार्य है। उन्हें यह शपथ पत्र देना होगा कि वह वर्तमान में किसी समाचार पत्र एवं एजेंसी से नहीं जुड़े हैं।	3.8 स्वतंत्र पत्रकारों को अधिमान्यता के लिए न्यूनतम 15 वर्षों का पूर्णकालिक संवाददाता का अनुभव होना अनिवार्य है। स्वतंत्र पत्रकार के रूप में आवेदन निम्न सूचना ऑनलाइन अपलोड करेंगे। i. 15 वर्षों का पत्रकारिता के अनुभव का विवरण। ii. इस आशय का शपथपत्र कि वे किसी मीडिया संस्थान से जुड़े हुये नहीं है।
8	3.9 स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए निर्धारित अनुभव राष्ट्रीय राज्य स्तरीय समाचार पत्रों समाचार एजेंसियों में पूर्णकालिक संवादाता ब्यूरो चीफ के नियमित कार्य करने का अनुभव हो।	3.9 स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए निर्धारित अनुभव राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय समाचार पत्रों समाचार एजेंसियों/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पूर्णकालिक संवादाता/ब्यूरो प्रमुख के प्रमुख रूप में नियमित कार्य करने का अनुभव हो ।
9	3.11 अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार यदि अपना संस्थान बदलते हैं तो उनकी अधिमान्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी।	3.11 अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार यदि अपना संस्थान बदलते हैं और नए संस्थान के संपादक/राज्य ब्यूरो प्रमुख से अग्रसारित आवेदन देते हैं तब ऐसी स्थिति में 6 माह के लिए अस्थाई अधिमान्यता निदेशक, जनसंपर्क निदेशालय द्वारा दी जाएगी। प्रेस प्रमाणीकरण समिति की अनुशंसा से स्थाई अधिमान्यता 2 वर्षों के लिए निर्गत तिथि से दी जाएगी।
10	3.12 प्रेस कार्य में लगे केंद्र एवं राज्य सरकार के सूचना सेवा के पदाधिकारियों को केंद्र के राज्य स्तरीय प्रमुख/निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की अनुशंसा से अधिमान्यता प्रदान की जाएगी। इसकी शक्ति विभाग में निहित रहेगी।	3.12 प्रेस कार्य में लगे केंद्र एवं राज्य सरकार के सूचना सेवा के पदाधिकारियों को केंद्र के राज्य स्तरीय प्रमुख निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की अनुशंसा से अधिमान्यता प्रदान की जाएगी। इसकी शक्ति निदेशक, जनसंपर्क निदेशालय में निहित रहेगी।
11	4.3 अधिमान्यता की अवधि समाप्त होने के बाद नवीकरण के लिए निर्गत प्रेस प्रमाणिकरण प्रमाण पत्र के मूल प्रति के साथ विभाग में आवेदन देना होगा।	4.3 अधिमान्यता की अवधि समाप्त होने के एक माह पूर्व नवीकरण के लिए निर्गत प्रेस प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र की प्रति के साथ आवेदन ऑनलाइन अथवा संस्थान के प्रमुख/संपादक/राज्य ब्यूरो प्रमुख से अग्रसारित कराकर विभाग में आवेदन देना होगा।
12	5.3 समिति में कुल 15 सदस्य होंगे।	5.3 समिति में सदस्य सचिव सहित कुल 16 सदस्य होंगे।

13	6 अधिमान्यता के लिये समाचार पत्र / पत्रिका कि अधिकतम सीमा।	6 अधिमान्यता के लिये मीडिया संस्थानों के राज्य एवं जिला स्तरीय प्रेस प्रतिनिधि की संख्या का निर्धारण प्रेस प्रमाणीकरण समिति द्वारा किया जायेगा।

3. पत्रकारों को निर्गत किए जानेवाले प्रेस अधिमान्यता कार्ड में QR Code लगा रहेगा- जिसे Scan करने से संबंधित मीडियाकर्मी का विवरण प्राप्त हो सके।

4. झारखण्ड प्रेस प्रतिनिधि अधिमान्यता नियम 2014 की शेष कंडिका यथावत रहेंगी।

ह०/–
(डॉ सुनील कुमार वर्णवाल)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक : प्रेस – 20/2013..135......
रांची, दिनांक– 28/02/2019.

प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेशित।

28/2/19

(डॉ सुनील कुमार वर्णवाल)
सरकार के सचिव